## न्यायालय — जिला न्यायाधीश, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी : भूपेन्द्र कुमार निगम)

सिविल एम.जे.सी. क्रमांक : 15/2017

रजिस्ट्रेशन क्रमांक : 49 / 2017

संस्थापन दिनांक : 21-06-2017

(1) श्रीमती जयदेवी वर्मा पित शिवनारायण वर्मा उर्फ सेम वर्मा, उम्र—72 वर्ष, निवासी—व्ही.आई.पी. हाउस, बालाजीपुरम, बैतूल बाजार, जिला—बैतूल (म.प्र.) द्वारा :—अधिकार पत्र गृहिता महेश वर्मा पिता के. एल. वर्मा, उम्र—47 वर्ष, निवासी—प्रताप वार्ड, टिकारी, तहसील व जिला—बैतूल (म.प्र.)

.....आवेदिका

## विरूद्ध

- (1) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शुभांकर अपार्टमेण्ट, प्लॉट नम्बर—159, अम्बाझिरी हिल टॉप एरिया, रामनगर, नागपुर (महाराष्ट्र)
- (2) अनुविभागीय अधिकारी (भू—अर्जन), एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल, तहसील व जिला—बैतूल (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

आवेदिका द्वारा :— श्री मनीष गर्ग, अधिवक्ता। अनावेदक क्रमांक—1 द्वारा :— श्री मोहन सौसरकर, अधिवक्ता। अनावेदक क्रमांक—2 स्वयं उपस्थित।

## -:: आदेश ::-

(आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2017 को पारित किया गया)

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1/17 दिनांक 27—06—2017 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदिका के उक्त आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि भूमि खसरा क्रमांक—356/1 एवं 356/2 की भूमि आवेदिका जयदेवी वर्मा के नाम पर शासकीय अभिलेख में अभिलिखित है। उक्त भूमि पर आवेदिका के अनुसार मेसर्स मिशीगन रबड़ (इंडिया लिमिटेड) के रूप में एक फैक्ट्री स्थापित है। उक्त भूमि के कुछ भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बैतूल—पाण्ढुर्ना के बीच

फोरलेन हाइवे क्रमांक-69 बनाने के लिए नेशनल हाइवे अधिनियम की धारा 3 (डी)(1) के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 12-05-2011 जारी होने के पश्चात प्राधिकारी (भू—अर्जन अधिकारी), बैतूल क्रमांक-16-अ / 82 / 2011-12 में दिनांक 02-07-2012 को 1.110 हैक्टेयर प्रश्नाधीन भूमि का 21,84,55,299 / —रूपये का मुआवजा निर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया था, जिससे असंतुष्ट होकर परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, पाण्ढुर्ना द्वारा दिनांक 01-11-2012 को उक्त अधिनियम की धारा 3 (जी) (5) के अन्तर्गत आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर उक्त अवार्ड दिनांक 02-07-2012 त्रुटिपूर्ण होने से उसे अपास्त कर यथोचित रूप से संशोधन किये जाने की प्रार्थना की गयी है, जिसमें फैक्ट्री का हिस्सा, जिसमें कारखाने की मिलें स्थापित हैं, वह अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर होने के कारण उसके सम्बन्ध में मुआवजे के निर्धारण को अनुचित बताया गया है। उक्त प्रकरण में आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद के समक्ष आवेदक जयदेवी वर्मा द्वारा दिनांक 08-11-2012 को उक्त अवार्ड दिनांक 02-07-2012 में उसे विधि अनुसार सुनवाई का मौका सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दिये जाने के कारण उक्त अवार्ड दिनांक 02-07-2012 को संशोधित कर आवेदिका को 79,20,68,191 / -रूपये का अवार्ड मय ब्याज के दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी थी। उक्त प्रकरण आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद में अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक-02, 03/अभ्या./2012-2013 पर पंजीबद्ध होकर उसका निराकरण आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद द्वारा आदेश दिनांक 23-02-2017 द्वारा किया जाकर आवेदिका जयदेवी वर्मा का दावा/अभ्यावेदन अमान्य किया गया है, जिसमें वह नेशनल हाइवे अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी) के अन्तर्गत मुआवजे की हकदार नहीं होने सम्बन्धी विनिश्चय किया गया है। साथ ही उक्त अवार्ड दिनांक 23-02-2017 की कण्डिका-19 में शासकीय राशि का दूरूपयोग करने हेतू गलत लाभ लेने के लिए आवेदिका एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपराधिक साजिश करना एवं विभिन्न दस्तावेजों की कूटरचना किया जाना सिद्ध पाया जाना उल्लेखित करते हुए तदनुसार उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने की यथोचित कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया है।

- 3. आवेदिका की ओर से उक्त आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23—02—2017 से असंतुष्ट होकर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अन्तर्गत इस प्रकरण का मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- 4. आवेदिका की ओर से आवेदन क्रमांक—1/17 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग,

होशंगाबाद द्वारा आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हुए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 तथा नेशनल हाइवे अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विरुद्ध आलोच्य आदेश पारित करते हुए कलेक्टर, बैतूल को आवेदिका एवं सक्षम प्राधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण (एफ.आई.आर.) दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जिसमें आवेदिका को परेशान किया जा रहा है और अत्यन्त मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। आवेदिका 72 वर्षीय वृद्ध महिला है, जिसे मात्र भूमि का मुआवजा मांगने की वजह से आपराधिक प्रकरण का भागी बनना पड़ेगा। उक्त आदेश/निर्देश का क्रियान्वयन स्थगित नहीं किये जाने पर आवेदिका को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त आधार पर आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने सम्बन्धी आदेश को प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

- 5. अनावेदक क्रमांक—1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—02—2017 विधिवत् होना बतलाते हुए आवेदिका का प्रश्नगत आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
- 6. अनावेदक क्रमांक—2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत आवेदन पोषणीय नहीं होना बतलाया गया है तथा समान विषयवस्तु के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक—4019/2017 दिनांक 28—06—2017 को निरस्त हो जाना अभिवचनित किया है। आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नाधीन आदेश/निर्देश पारित करने का पूर्ण अधिकार होना बतलाते हुए आवेदिका का आवेदन क्रमांक—1/17 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
- 7. आवेदिका द्वारा आवेदन क्रमांक 1/17 में केवल आयुक्त एवं मध्यस्थता अधिकारी नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद के आदेश दिनांक 23/2/2017 में कंडिका—19 में आवेदिका तथा तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी (भू—अर्जन) अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के विरुद्ध दस्तावेजों की कूट रचना के संबंध में एफअईआर (आपराधिक प्रकरण) पंजीबद्ध किये जाने संबंधी आदेश के कियान्वयण को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आयुक्त एवं मध्यस्थता अधिकारी नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद के आदेश दिनांक 23/2/2017 के निर्देश के परिपालन में आरक्षी केन्द्र बैतूल बाजार में अपराध कमांक 40/17 अन्तर्गत धारा 420, 467, 469, 120बी भा0दं०सं० के अन्तर्गत प्रथम सूचना पंजीबद्ध होकर अनुसंधान लम्बित होना प्रकट होता है। ऐसी परिस्थिति में उक्त आदेश दिनांक 23/2/017 के निर्देशों का क्रियान्वयण हो जाने की परिस्थिति प्रकट होती है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक—1 की ओर

से तर्क के दौरान माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एमसीआरसी नम्बर 10900/17 में पारित आदेश दिनांक 24/7/2017 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त अपराध कमांक 40/17 आरक्षी केन्द्र बैतूल बाजार के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही आगामी तिथि तक स्थिगत रखे जाने संबंधी आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी परिस्थिति में आयुक्त एवं मध्यस्थता अधिकारी नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद के आदेश दिनांक 23/2/017 के निर्देशों के परिपालन में आरक्षी केन्द्र बैतूल बाजार में पंजीबद्ध अपराध कमांक 40/17 में अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 24/7/2017 द्वारा स्थिगत होना भी प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त विषय वस्तु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन होने की परिस्थिति भी प्रकट होती है। इस कारण आवेदिका के आवेदन कमांक 1/17 में धारा 34 मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

- 8. जहां तक उक्त आदेश दिनांक 23/2/2017 में दस्तावेजों की कूट रचना के संबंध में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने संबंधी निर्देश का प्रश्न है, इस संबंध में अनावेदक क्रमांक—2 की ओर से न्याय दृष्टांत एन०एन० पलानीटकर विरुद्ध बिहार राज्य ए०आई०आर०२००1(एस०सी०)पेज २९६० प्रस्तुत किया गया है जिसमें मध्यस्थता अधिकारी को इस संबंध में प्रथम दर्शी आधार प्रकट होने पर निर्देश जारी करने की अधिकारिता होने संबंधी विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।
- 9. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में न्याय दृष्टांत हितेन्द्र विष्णु ठाकुर विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 1994 (4) एस०सी०सी० पेज 602, जोस दा कोष्टा विरूद्ध बासकोरा सदाशिवा 1997(2) एस०सी०सी० पेज—197, थाईसीन स्थलयुनियन बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999(9) एस०सी०सी० पेज 334 प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु उनमें प्रतिपादित विधि के सिद्धांत मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के पूर्व प्रावधान एवं नवीन प्रावधान की प्रभावशीलता से संबंधित होना प्रकट होता है जो कि आवेदक के धारा 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मूल आवेदन के गुण—दोष से संबंधित होने से तथ्यात्मक भिन्नता के कारण आवेदन कमांक 1/17 के संबंध में आवेदक पक्ष को इस स्तर पर कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।
- 10. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में अन्तरिम स्थगन संबंधी प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा—9 में उल्लेखित किये गये हैं। आवेदिका का आवेदन क्रमांक 1/17 में उल्लेखित स्थगन संबंधी प्रार्थना उक्त धारा—9 के प्रावधान में समाहित होना प्रकट नहीं होता है। तर्क के दौरान आवेदक पक्ष के अधिवक्ता ने सक्षम प्राधिकारी (भू—अर्जन अधिकारी) बैतूल के आदेश दिनांक 2/7/2012 के अवार्ड की राशि जमा करवाये जाने हेतु

निर्देशित किये जाने की प्रार्थना की। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (H) के प्रावधान तथा आयुक्त एवं मध्यस्थ नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23/2/2017 की कंडिका—14 (पेज—40) में किये गये विनिश्चय के आलोक में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 (2) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में इस अन्तरिम आवेदन कमांक 1/17 में कोई आदेश दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि का भौतिक कब्जा अनावेदक कमांक—1 को प्राप्त नहीं होना विनिश्चित किया गया है।

11. अतः आयुक्त एवं मध्यस्थता अधिकारी नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23/2/017 की कंडिका—19 के निर्देशों के परिपालन/ कियान्वयण में आरक्षी केन्द्र बैतूल बाजार में अपराध कमांक 40/17 की प्रथम सूचना पंजीबद्ध होकर अनुसंधानाधीन होने तथा इस संबंध में उक्त विषय वस्तु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष एमसीआरसी नम्बर 10900/17 में न्यायाधीन होकर उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24/7/2017 द्वारा उक्त अपराध कमांक 40/17 आरक्षी केन्द्र बैतूल बाजार में अग्रिम कार्यवाही स्थिगित रखे जाने संबंधी आदेश के आलोक में आवेदिका का इस प्रकरण में आयुक्त/मध्यस्थता अधिकारी नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद के आदेश दिनांक 23/2/2017 की कंडिका—19 के कियान्वयण को स्थिगित रखे जाने संबंधी आवेदन कमांक 1/17 स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / -14 / 10 / 2017 (भूपेन्द्र कुमार निगम) जिला न्यायाधीश, बैतूल जिला-बैतूल (म.प्र.) सही / -14 / 10 / 2017 (भूपेन्द्र कुमार निगम) जिला न्यायाधीश, बैतूल जिला-बैतूल (म.प्र.)